



प्रेस नोट-190 / 2026

दिनांक 05.04.2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश ।

मेटा के अलर्ट से पुलिस मुख्यालय लखनऊ के निर्देश पर आजमगढ़ पुलिस द्वारा, 19 वर्षीय युवती की 08 मिनट में बचायी गयी जान

- आत्महत्या संबंधी पोस्ट पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आजमगढ़ पुलिस ने 08 मिनट में पहुंचकर 19 वर्षीय युवती का जीवन बचाया ।
- दिनांक 03-04-2026 को पारिवारिक विवाद के कारण उत्पन्न अवसाद में आत्महत्या संबंधी पोस्ट सोशल मीडिया पर साझा की गई ।
- पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के निर्देशानुसार मुख्यालय को प्राप्त अलर्ट के आधार पर तत्काल युवती की लोकेशन ट्रेस कर जनपद आजमगढ़ पुलिस को सूचित किया गया ।
- दिनांक 01-01-2023 से 31-03-2026 तक इस पहल के अंतर्गत कुल 2427 व्यक्तियों के जीवन की रक्षा की जा चुकी है ।

दिनांक 03-04-2026 को जनपद आजमगढ़ के थाना सिधारी निवासी 19 वर्षीय युवती द्वारा, "मैं भी और मेरी स्टोरी भी लास्ट है,क्यूंकि मैं जा रही हूँ अपनी अम्मी के पास" यह टेक्स्ट लिखकर, अत्यधिक मात्रा में दवाईयां खाते हुए, इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट किया गया । उक्त पोस्ट के संबंध में दिनांक-03-04-2026 को रात्रि 10:18 PM पर मेटा कंपनी की तरफ से मुख्यालय पुलिस महानिदेशक स्थित सोशल मीडिया सेन्टर को ई-मेल के ज़रिए एलर्ट प्राप्त हुआ । जिसका तत्काल संज्ञान लेकर उच्चाधिकारियों को संज्ञानित कराया गया ।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, श्री राजीव कृष्ण द्वारा उक्त एलर्ट पर तत्काल कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया । मेटा कम्पनी द्वारा भेजे गये अलर्ट का संज्ञान लेकर मुख्यालय की सोशल मीडिया सेन्टर द्वारा प्राप्त अलर्ट में उपलब्ध कराये गये मोबाइल नम्बर के आधार पर तत्काल युवती की लोकेशन की जानकारी करके जनपद आजमगढ़ को प्रकरण से अवगत कराया गया ।

मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना एवं लोकेशन पर थाना सिधारी के उप निरीक्षक मय महिला उप निरीक्षक व पुलिस कर्मियों के मात्र 08 मिनट के अन्तराल में युवती के घर पहुंच गए । पुलिस कर्मियों द्वारा तत्काल परिजनों को युवती द्वारा किए गए पोस्ट की जानकारी देते हुए, अविलंब युवती के पास दौड़ कर पहुंचे तो देखा कि युवती ज़ोर-ज़ोर से रो रही है और अपना पेट व गला पकड़ कर दबा रही है, ऐसा करते हुए युवती बेहोश हो गई । पुलिसकर्मियों द्वारा अविलम्ब परिजनों के साथ बेहोश हो चुकी युवती को एंबुलेंस द्वारा नज़दीकी अस्पताल ले जाया गया जहाँ पर चिकित्सक द्वारा युवती को एडमिट कर लिए गया तथा उसका उपचार आरम्भ किया गया ।

अस्पताल से डिस्चार्ज होने एवं स्वास्थ्य सामान्य होने के उपरांत पुलिसकर्मियों द्वारा की गई पूछताछ में युवती ने बताया कि उसकी माँ नहीं हैं और वह खुद को बहुत अकेला महसूस करती है, कुछ दिन पूर्व खाना बनाने की बात पर युवती की बहन से उसका विवाद हुआ और परिवार में अक्सर विवाद चलता रहता है, जिस कारण युवती मानसिक रूप से अत्यधिक आहत एवं अवसादग्रस्त हो गयी, जिसके परिणामस्वरूप उसके मन में आत्महत्या का विचार उत्पन्न हुआ और उसने आत्महत्या के उद्देश्य से घर में रखी सभी दवा की गोलियों को एक साथ खा लिया ।

पुलिस कर्मियों द्वारा समय से पहुँच कर, युवती के प्राणों की रक्षा की गयी एवं काउन्सलिंग की गयी, जिस पर युवती द्वारा भविष्य में ऐसी गलती नहीं करने का आश्वासन दिया गया । युवती के परिजनों द्वारा स्थानीय थाने के पुलिसकर्मियों की तत्परता तथा उनके सहयोग हेतु उ0प्र0 पुलिस को धन्यवाद दिया गया ।

उत्तर प्रदेश पुलिस एवं मेटा कम्पनी के मध्य 2022 से प्रचलित व्यवस्था के अंतर्गत यदि कोई भी व्यक्ति फेसबुक अथवा इंस्टाग्राम पर आत्महत्या किए जाने से सम्बंधित पोस्ट करता है तो ऐसी पोस्ट के सम्बंध में मेटा कम्पनी द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस को ई-मेल एवं फोन के माध्यम से अलर्ट भेजकर सूचित किया जाता है । दिनांक 01-01-2023 से 31-03-2026 के मध्य आत्महत्या संबंधी पोस्ट पर प्राप्त अलर्ट का संज्ञान लेकर कुल 2427 व्यक्तियों के प्राणों की रक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा की जा चुकी है ।

उत्तर प्रदेश पुलिस को, मेटा सुसाइडल अलर्ट की नवीन पहल के लिए, प्रतिष्ठित **SKOCH Award-2025** तथा **The Economic Times GovTech Awards- 2026** से सम्मानित भी किया गया है ।





प्रेस नोट-191 / 2026

दिनांक 05.04.2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद बुलन्दशहर/थाना अरनिया

- 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 05.04.2026 को थाना अरनिया व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ईशनपुर गेट के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त अजय कुमार को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर का अपराधी है, जिसके विरुद्ध जनपद बुलन्दशहर के विभिन्न थानों में हत्या का प्रयास, लूट व गैंगेस्टर एक्ट के 03 अभियोग पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्त थाना अरनिया पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना अरनिया पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1-अजय कुमार निवासी ग्राम सूरजपुर थाना चंडौस जनपद अलीगढ़।

जनपद बुलन्दशहर/थाना खुर्जा नगर

- 10 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 05.04.2026 को थाना खुर्जा नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कैलाश कट के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त रविन्द्र उर्फ गोखी को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध जनपद बुलन्दशहर, दिल्ली व मध्य प्रदेश प्रान्त के विभिन्न थानों में हत्या, हत्या का प्रयास, डकैती, लूट, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, गुण्डा एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 30 अभियोग पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्त थाना खुर्जा नगर पर पंजीकृत अभियोग में

वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना खुर्जा नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—रविन्द्र उर्फ गोर्खी निवासी ग्राम हजरतपुर थाना खुर्जा देहात जनपद बुलन्दशहर।

जनपद हाथरस/थाना सादाबाद

- लूट की घटना का अनावरण
- पुलिस कार्यवाही में 04 अभियुक्त गिरफ्तार
- लूट के 01 लाख 97 हजार रुपये नगद
- लूट के पीली धातु के आभूषण, 01 मोबाइल फोन
- 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस
- घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद

दिनांक 04.04.2026 को थाना सादाबाद व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान मडनई कट के पास बदमाशों की घेराबन्दी की गई तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1—शिवम घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2—दीपू 3—रंजीत कुमार 4—पवन कुमार उर्फ चुन्ना सहित गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 01 लाख 97 हजार रुपये नगद, लूट के पीली धातु के आभूषण, 01 मोबाइल फोन, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 02.04.2026 को थाना सादाबाद क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सादाबाद पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया, आभूषण आदि लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना सादाबाद पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1-शिवम निवासी चमरपुरा थाना सादाबाद जनपद हाथरस।
- 2-दीपू निवासी चमरपुरा थाना सादाबाद जनपद हाथरस।
- 3-रंजीत कुमार निवासी खेडा परसौली थाना चन्दपा जनपद हाथरस।
- 4-पवन कुमार उर्फ चुन्ना निवासी नगला अर्जुन थाना खंदौली कमिश्नरेट आगरा।

बरामदगी

- 1-लूट के 01 लाख 97 हजार रूपये नगद।
- 2-लूट के पीली धातु के आभूषण, 01 मोबाइल फोन।
- 3-01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।
- 4-घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि।

जनपद जौनपुर/थाना तेजीबाजार, थाना बदलापुर

- पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार
 - 01 लाख 30 हजार रूपये नगद
- 01 अवैध पिस्टल मय जीवित/खोखा कारतूस
 - 01 मोटर साइकिल आदि बरामद

दिनांक 05.04.2026 को थाना तेजीबाजार व थाना बदलापुर की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कलिंजरा पुलिया के पास बदमाशों की घेराबन्दी की गई तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1-राहुल घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2-विपिन सहित गिरफ्तार किया गया एवं एक बदमाश मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 01 लाख 30 हजार रूपये नगद, 01 अवैध पिस्टल मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त राहुल के विरुद्ध जनपद जौनपुर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 07 अभियोग, अभियुक्त विपिन के विरुद्ध जनपद जौनपुर के विभिन्न थानो में हत्या, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के 05 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना तेजीबाजार पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—राहुल निवासी ग्राम सरौली थाना तेजीबाजार जनपद जौनपुर।

2—विपिन निवासी करसावा थाना सरायख्वाजा जनपद जौनपुर।

बरामदगी

1—01 लाख 30 हजार रूपये नगद।

2—01 अवैध पिस्टल मय जीवित/खोखा कारतूस।

3—01 मोटर साइकिल आदि।

जनपद जौनपुर/थाना सरायख्वाजा, थाना बक्सा

- पुलिस कार्यवाही में अवैध शस्त्र की तस्करी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार
 - 01 लाख 25 हजार रूपये नगद
 - 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस
 - 01 मोटर साइकिल आदि बरामद

दिनांक 05.04.2026 को थाना सरायख्वाजा व थाना बक्सा की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर छुन्छा पुलिया के पास बदमाशों की घेराबन्दी की गई तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अवैध शस्त्र की तस्करी करने वाले अभियुक्त 1—गुडलक 2—शशांक उर्फ साहिल घायल हो गये, जिसे गिरफ्तार किया गया एवं अन्य तीन बदमाश मौके से फरार हो गये, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 01 लाख 25 हजार रूपये नगद, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त गुडलक के विरुद्ध जनपद जौनपुर, प्रतापगढ़ के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट आदि के 08 अभियोग एवं अभियुक्त शशांक उर्फ साहिल के विरुद्ध जनपद जौनपुर, प्रतापगढ़ व कमिश्नरेट लखनऊ के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट आदि के 18 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना सरायख्वाजा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1-गुडलक निवासी खानपुर थाना सिंगरामऊ जनपद जौनपुर।
- 2-शशांक उर्फ साहिल निवासी आहोपुर थाना सिंगरामऊ जनपद जौनपुर।

बरामदगी

- 1-01 लाख 25 हजार रूपये नगद।
- 2-02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।
- 3-01 मोटर साइकिल आदि।

कमिश्नरेट वाराणसी/थाना रोहनिया

- चोरी की घटना का अनावरण
 - 01 अभियुक्त गिरफ्तार
 - लगभग 30 लाख रूपये कीमत की चोरी के सोना (180.460 ग्राम) – चाँदी (818 ग्राम) की सिल्ली
 - 08 हजार 500 रूपये नगद
 - 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस
 - घटना में प्रयुक्त 01 कार बरामद

दिनांक 05.04.2026 को थाना रोहनिया व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर परमानन्दपुर के पास से अभियुक्त शनि को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से

लगभग 30 लाख रूपये कीमत की चोरी के सोना (180.460 ग्राम) – चाँदी (818 ग्राम) की सिल्ली, 08 हजार 500 रूपये नगद, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 कार बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 21/22.03.2026 को थाना रोहनिया क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना रोहनिया पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद सोना-चाँदी आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध कमिश्नरेट वाराणसी के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 20 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना रोहनिया पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1-शनि निवासी रमदत्तपुर थाना लालपुर पाण्डेयपुर कमिश्नरेट वाराणसी।

बरामदगी

1-लगभग 30 लाख रूपये कीमत की चोरी के सोना (180.460 ग्राम) – चाँदी (818 ग्राम) की सिल्ली।

2-08 हजार 500 रूपये नगद।

3-01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

4-घटना में प्रयुक्त 01 कार।

जनपद मीरजापुर/थाना पड़री

- 05 अभियुक्त गिरफ्तार
- लगभग 50 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 01 कुन्तल अवैध गांजा
- नगद रूपये, 03 मोबाइल फोन
- घटना में प्रयुक्त 01 होण्डा सिटी कार बरामद

दिनांक 04.04.2026 को थाना पड़री व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम बडौरी के पास से 05 अभियुक्तों 1-सत्यम उर्फ राहुल

2-सौरभ उर्फ पुष्कर 3-विकास उर्फ विष्णू 4-राजन उर्फ विश्वजीत 5-पवन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 50 लाख रुपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 01 कुन्तल अवैध गांजा, नगद रुपये, 03 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त 01 होण्डा सिटी कार बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना पड़री पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1-सत्यम उर्फ राहुल निवासी अघवार थाना पड़री जनपद मीरजापुर।
- 2-सौरभ उर्फ पुष्कर निवासी देवरी थाना पड़री जनपद मीरजापुर।
- 3-विकास उर्फ विष्णू निवासी देवरी थाना पड़री जनपद मीरजापुर।
- 4-राजन उर्फ विश्वजीत निवासी नबैया थाना मेजा कमिश्नरेट प्रयागराज।
- 5-पवन निवासी देवरी थाना पड़री जनपद मीरजापुर।

बरामदगी

- 1-लगभग 50 लाख रुपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 01 कुन्तल अवैध गांजा।
- 2-नगद रुपये, 03 मोबाइल फोन।
- 3-घटना में प्रयुक्त 01 होण्डा सिटी कार।
